258

संख्या– 29 /VI-2/2017–51(3)16 टी0सी0–2

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग देहरादून दिनांक : 23 मार्च, 2017

विषय :– खेलों इण्डिया योजना के तहत जनपद एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु भारत सरकार से आवंटित धनराशि पर्याप्त न होने के फलस्वरूप प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–956/दो–लेखा–2953/2016–17 दिनांक 24.09.16, संख्या–1424/दो–लेखा–2953/2016–17 दिनांक 20.12.16 तथा संख्या–1618/दो–लेखा–2953/2016–17 दिनांक 19.01.17 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में खेलों इण्डिया योजना के तहत जनपद एवं राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु भारत सरकार से आवंटित धनराशि पर्याप्त न होने के फलस्वरूप प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन हेतु राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत **₹ 25.00 (रू0 पच्चीस लाख मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– भारत सरकार से प्राप्त धनराशि के समायोजन की यू0सी0 भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन में भी उपलब्ध करायी जाए तथा राज्य सेक्टर से आवंटित धनराशि की यू0सी0 शासन में उपलब्ध करायी जाएगी।

3– उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 एवं शासनादेश संख्या–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015, शासनादेश सं0–474/XXVII(7)/2008 दि0–15–12–08 एवं शासनादेश संख्या–645/XXVII(1)/2015 दिनांक 04 जून, 2015, शासनादेश संख्या–1325/XXVII(1)/2015 दिनांक 16 नवम्बर, 2015 तथा शासनादेश संख्या–1336/XXVII(1)/2015 दिनांक 17 नवम्बर, 2015, शासनादेश संख्या–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 तथा शासनादेश संख्या–847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 में निहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

5– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू **वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 2204–खेल कूद तथा युवा सेवायें–001–निदेशन तथा प्रशासन–00–18–युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन–42–अन्य व्यय के** आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

8— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–344(P)/XXVII(1)/2016–17, दिनांक 21 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 29 (1)/VI-2/2017–51(3)16 टी0सी0–2 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव विभूति रंजन)
अनुसचिव

14